

पूर्व मध्य रेल

कार्यालय
मंडल रेल प्रबंधक(का0)
समस्तीपुर

कार्यालय आदेश सं0-279/NG/2020/Comml/SPJ

निम्नलिखित अभ्यर्थी जो अनुकंपा आधार पर वाणिज्य विभाग में वाणिज्य लिपिक (लेवल 03), वेतन बैंड 5200-20200 ग्रेड वेतन 2000 के पद पर नियुक्ति हेतु अनुमोदित है एवं निर्धारित चिकित्सा श्रेणी में योग्य पाए जाने के उपरांत मंडल रेल प्रबंधक (का0) समस्तीपुर के ज्ञापन सं0-का/239/तृ0श्रेणी/अनु0/गो0/19, दिनांक 05.07.2019 के आलोक में इस कार्यालय के पत्र सं0-का/239/तृ0श्रेणी/अनु0/गो0/18/पार्ट- II, दिनांक 28.11.2019 द्वारा क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान, मुज्जफ्फरपुर प्रशिक्षण हेतु भेजे गये थे, जिसमें ये अनुत्तीर्ण घोषित हुए। पुनः इस कार्यालय के पत्र संख्या का/11/227/वाणिज्य लिपिक/15, दिनांक 31.01.2020 द्वारा प्रशिक्षण हेतु क्षेत्र.प्र.सं./मुज्जफ्फरपुर भेजा गया जिसमें ये प्राचार्य, क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान, मुज्जफ्फरपुर के पत्रांक-T/327/23/CC/Part-III दि0-17.03.2020 द्वारा वाणिज्य लिपिक (प्रो0+प्र0)के परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित हैं की नियुक्ति अस्थाई रूप से वाणिज्य लिपिक, लेवल-03, वेतन बैंड 5200-20200, ग्रेड वेतन 2000 के पद पर करते हुए उनके नाम के सामने अंकित स्टेशन पर पदस्थापित किया जाता है-

क्रम	अभ्यर्थी का नाम एवं पिता का नाम (सर्व श्री/श्रीमती)	पदनाम, ग्रेड वेतन+ लेवल	चिकित्सा प्रमाण पत्र सं0, श्रेणी एवं जन्म तिथि	पदस्थापित स्टेशन	समुदाय	नियुक्ति पर प्रशिक्षण अवधि के गणना उपरांत वेतन निर्धारण
1.	राकेश कुमार पिता-स्व0 रामचन्द्र तिवारी	वाणिज्य लिपिक ग्रेड वेतन- 2000 लेवल-03	031559/52 दि0-18/25.03.19 फिट इन B-2 and below Without glasses issued by ACMS/SPJ 31-07-92	अधीन वाणिज्य अधीक्षक/ बैरगनिया	UR	21700

उपरोक्त नियुक्ति एवं पदस्थापना पूर्णतया औपबंधिक (Provisional) एवं अस्थायी है तथा इस संबंध में वे सभी शर्तें लागू होंगी जो एक अस्थायी तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों पर लागू होती हैं।


अभिलेखों की जांच एवं सत्यापन के दौरान प्रतिकूल अभ्युक्ति प्राप्त होने पर या माता पिता/पति-पत्नी/बच्चों जैसा भी मामला हो के साथ तथा अन्य सदस्यों के देख-रेख नहीं किए जाने पर इनकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी। इनकी वरीयता का निर्धारण भारतीय रेल स्थापना मैनुअल के अनुसार की जाएगी। रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या F(E)III/2003/PN-1/24dt 31.12.2003 के द्वारा जारी सभी नियमों विनियमों के अधीन नई पेंशन योजना, समय-समय पर रेल के निर्देशों के द्वारा ये शासित होंगे। इन्हे आवश्यकता अनुसार प्रादेशिक सैन्य सेवा के रेल इंजीनियरिंग इकाइयों में 12 वर्षों तक एवं प्रादेशिक सेना में 3 वर्षों तक या नियमानुसार इनके लिए जो भी अवधि निर्धारित की जाएगी, सैन्य सेवा करनी होगी। इन्हे रेल में कम से कम 5 वर्ष तक की सेवा अनिवार्य रूप से करनी होगी अन्यथा दण्ड के साथ प्रशिक्षण शुल्क की राशि लौटानी होगी जो रेल प्रशासन पर निर्भर होगी।

अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण तिथि नियुक्ति तिथि मानी जाएगी तथा वेतन इत्यादि का लाभ देय होगा।

यह सक्षम अधिकारी द्वारा आदेशित है।

श्री राकेश कुमार का अभिप्रमाणित फोटो, हस्ताक्षर एवं दाँये अगूठे का निशान

Rakesh Kumar



मंडल कार्मिक अधिकारी
पूर्व मध्य रेल, मुज्जफ्फरपुर

Divl. Personnel Officer
E. C. Riv., Samastipur

(आर अर लकड़ा)
मंडल कार्मिक अधिकारी
समस्तीपुर

दिनांक-17.06.2020

सं0- का /II/227/वाणिज्य लिपिक / 15

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- वर्माविप्र ./समस्तीपुर
- वर्मावाप्र /समस्तीपुर
- वाणिज्य अधीक्षक/बैरगनिया
- मुकार्याधी/ यातायात बिल कार्यालय में।
- मुकार्याधी/ पास कार्यालय में-कृपया उपरोक्त अभ्यर्थी के पक्ष में पदस्थापना स्टेशन तक का इकतरफा पास जारी करने की व्यवस्था करेंगे।
- मंडल मंत्री / ईसीआरकेयू, ओबीसी एवं अजा अजजा एशो0/ सम0 मंडल
- संबंधित अभ्यर्थी।
- अभिलेख हेतु।

कृते मंडल रेल प्रबंधक (कार्मिक)
समस्तीपुर